

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश शासन  
सतपुडा भवन भोपाल


// संशोधन आदेश //

भोपाल, दिनांक 08/02/2019

क्रमांक 203 /15/आदेश/छा/2019 कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा म0प्र0 के आदेश क्रमांक 99-100/15/आदेश/छा./19 दिनांक 23-1-2019 के अनुसूचित जाति विज्ञान संकाय में सरल क्रमांक 11 के कालम नम्बर 2 में त्रुटिवंश महेन्द्र प्रसाद बरैया टंकित हो गया है,के स्थान पर महेश प्रसाद बरैया पढ़ा जाव ।


क्रमांक /15/आदेश/छा/2019 कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा म0प्र0 के आदेश क्रमांक 99-100/15/आदेश/छा./19 दिनांक 23-1-2019 के अनुसूचित जाति वाणिज्य संकाय में सरल क्रमांक 4 के कालम नम्बर 2 में त्रुटिवंश लाकेश कुमार पटले टंकित हो गया है,के स्थान पर लोकेश कुमार पटले पढ़ा जाव ।

कार्यालयीन आदेश क्रमांक 99-100/15/आदेश/छा./19 दिनांक 23-01-2019 के अनुसूचित जाति वाणिज्य संकाय में सरल क्रमांक 11 के कालम नम्बर 2 में त्रुटिवंश राधा प्यासी के स्थान पर राधा पासी पढ़ा जावे ।

  
डॉ०सुषमा दुबे  
संचालक(वित्त)  
उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश  
भोपाल दिनांक 08.02.2019

पृष्ठांकन क्रं. 204 /15/आउशि/छा/19  
प्रतिलिपि:-

1. महालेखाकार मध्यप्रदेश ग्वालियर ।
2. प्रमुख सचिव,मध्यप्रदेश शासन,उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल,म.प्र.
3. कुलसचिव,समस्त संबंधित विश्वविद्यालय मध्यप्रदेश ।
4. संबंधित क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश ।
5. संबंधित कोषालय अधिकारी मध्यप्रदेश ।
6. संचालक (बजट)उच्च शिक्षा,सतपुड़ा भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
7. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (आर.के.एस..)उच्च शिक्षा की ओर अग्रेषित कर लेख है कि आदेश को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें ।
8. संबंधित प्राचार्य शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय,मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ ।

  
संचालक (वित्त)  
उच्च शिक्षा म.प्र.

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश शासन  
सतपुडा भवन भोपाल

// संशोधन आदेश //

भोपाल, दिनांक 8/2/2019

कमांक 205 /499/आदेश/छा/2019 कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा के आदेश कमांक 60/499/आदेश/छा/2019 दिनांक 10.1.2019 के द्वारा राज्य शासन के एकीकृत छात्रवृत्ति के अन्तर्गत स्नातक योग्यता ( सह-साधन) विज्ञान/कला संकाय पाठ्यक्रम के अध्ययन हेतु राशि रूपये 300/- (तीन सौ रूपये मात्र) प्रतिमाह की दर से 10 माह की अवधि केलिये छात्रवृत्ति भुगतान करने की आयुक्त उच्च शिक्षा म0प्र0 की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है ।

उक्त आदेश के पृष्ठ कमांक 2 पर अंकित निम्नलिखित मांग संख्या

मॉग संख्या 44-उच्च शिक्षा

2202 सामान्य शिक्षा

(03) विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा

(107) छात्रवृत्तियों 9999

(0064) कला महाविद्यालय

(41) छात्रवृत्तियों एवं वृत्तियों-002

के स्थान पर मांग संख्या निम्नानुसार पढ़ा जावे :-

मॉग संख्या 44-उच्च शिक्षा

2202 सामान्य शिक्षा

(03) विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा

(107) छात्रवृत्तियों -0103

(0064) कला महाविद्यालय

(41) छात्रवृत्तियों एवं वृत्तियों-002

शेष नियम एवं शर्तें जारी आदेशानुसार यथावत रहेंगी ।

(डॉ० सुषमा दुष)

संचालक(विस्त)

उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश

भोपाल दिनांक 08.02.19.

पृष्ठांकन कं. 206 /499/आउशि/छा/19

प्रतिलिपि:-

- 1 महालेखाकार मध्यप्रदेश ग्वालियर म.प्र.।
- 2 कुल सचिव, संबंधित विश्वविद्यालय मध्यप्रदेश ।
- 3 संबंधित क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
- 4 प्राचार्य, संबंधित शासकीय महाविद्यालय मध्यप्रदेश ।
- 5 कोषालय अधिकारी, संबंधित कोषालय मध्यप्रदेश
- 6 संचालक (बजट) उच्च शिक्षा संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
- 7 प्रभारी कम्प्यूटर प्रकोष्ठ, की ओर इस आशय से कि आदेश बैबसाईट पर उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित ।
- 8 लेखा इकाई कार्यालय, आयुक्त उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति शाखा, की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

संचालक(विस्त)

उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश

कार्यालय आयुक्त मध्यप्रदेश शासन  
सतपुरा भोपाल

// संशोधन आदेश //

भोपाल, दिनांक 8/2/2019

कमांक 207 /499/आदेश/छा/2019 कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा के आदेश कमांक 58/499/आदेश/छा/2019 दिनांक 10.1.2019 के द्वारा राज्य शासन के एकीकृत छात्रवृत्ति के अन्तर्गत स्नातक योग्यता विज्ञान/कला/ वाणिज्य संकाय पाठ्यक्रम के अध्ययन हेतु राशि रूपये 300/- (तीन सौ रूपये मात्र) प्रतिमाह की दर से 10 माह की अवधि केलिये छात्रवृत्ति भुगतान करने की आयुक्त उच्च शिक्षा म0प्र0 की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है ।

उक्त आदेश के पृष्ठ कमांक 4 पर अंकित निम्नलिखित मांग संख्या

मांग संख्या 44-उच्च शिक्षा

2202 सामान्य शिक्षा

(03) विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा

(107) छात्रवृत्तियों 9999

(0064) कला महाविद्यालय

(41) छात्रवृत्तियों एवं वृत्तियों-002

के स्थान पर मांग संख्या निम्नानुसार पढ़ा जावे :-

मांग संख्या 44-उच्च शिक्षा

2202 सामान्य शिक्षा

(03) विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा

(107) छात्रवृत्तियाँ -0103

(0064) कला महाविद्यालय

(41) छात्रवृत्तियाँ एवं वृत्तियाँ-002.

शेष नियम एवं शर्तें जारी आदेशानुसार यथावत रहेंगी ।

(डॉ० सुषमा कुमारी)  
संचालक (वित्त)

उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश

भोपाल दिनांक 8.2.19

पृष्ठांकन कं. 208 /499/आउशि/छा/19

प्रतिलिपि:-

- 1 महालेखाकार मध्यप्रदेश ग्वालियर म.प्र.।
- 2 कुल सचिव, संबंधित विश्वविद्यालय मध्यप्रदेश।
- 3 संबंधित क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 4 प्राचार्य, संबंधित शासकीय महाविद्यालय मध्यप्रदेश।
- 5 कोषालय अधिकारी, संबंधित कोषालय मध्यप्रदेश
- 6 संचालक (बजट) उच्च शिक्षा संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 7 प्रभारी कम्प्यूटर प्रकोष्ठ, की ओर इस आशय से कि आदेश बैबसाईट पर उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।
- 8 लेखा इकाई कार्यालय, आयुक्त उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति शाखा, की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संचालक (वित्त)  
उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश शासन  
सतपुड़ा भवन भोपाल

// संशोधन आदेश //

भोपाल, दिनांक 8/2/2019

क्रमांक 209/499/आदेश/छा/2019 कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा के आदेश क्रमांक 56/499/आदेश/छा/2019 दिनांक 10.1.2019 के द्वारा राज्य शासन के एकीकृत छात्रवृत्ति के अन्तर्गत स्नातकोत्तर योग्यता (सह-साधन) विज्ञान/कला/वाणिज्य संकाय पाठ्यक्रम के अध्ययन हेतु राशि रुपये 500/- (पांच सौ रुपये मात्र) प्रतिमाह की दर से 10 माह की अवधि केलिये छात्रवृत्ति भुगतान करने की आयुक्त उच्च शिक्षा म0प्र0 की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।


उक्त आदेश के पृष्ठ क्रमांक 2 पर अंकित निम्नलिखित मांग संख्या

मांग संख्या 44-उच्च शिक्षा  
2202 सामान्य शिक्षा  
(03) विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा  
(107) छात्रवृत्तियाँ 9999  
(0064) कला महाविद्यालय  
(41) छात्रवृत्तियाँ एवं वृत्तियाँ-002

के स्थान पर मांग संख्या निम्नानुसार पढ़ा जावे :-

मांग संख्या 44-उच्च शिक्षा  
2202 सामान्य शिक्षा  
(03) विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा  
(107) छात्रवृत्तियाँ -0103  
(0064) कला महाविद्यालय  
(41) छात्रवृत्तियाँ एवं वृत्तियाँ-002

शेष नियम एवं शर्तें जारी आदेशानुसार यथावत रहेंगी।

  
(डॉ० सुषमा दुबे)  
संचालक (वित्त)


उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश

भोपाल दिनांक 8-2-19

पृष्ठांकन क्र. 210/499/आदेश/छा/19

प्रतिलिपि:-

- 1 महालेखाकार मध्यप्रदेश ग्वालियर म.प्र.।
- 2 कुल सचिव, संबंधित विश्वविद्यालय मध्यप्रदेश।
- 3 संबंधित क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 4 प्राचार्य, संबंधित शासकीय महाविद्यालय मध्यप्रदेश।
- 5 कोषालय अधिकारी, संबंधित कोषालय मध्यप्रदेश।
- 6 संचालक (बजट) उच्च शिक्षा संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 7 प्रभारी कम्प्यूटर प्रकोष्ठ, की ओर इस आषय से कि आदेश बैबसाईट पर उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।
- 8 लेखा इकाई कार्यालय, आयुक्त उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति शाखा, की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

  
संचालक (वित्त)  
उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश शासन  
सतपुडा भवन भोपाल

// संशोधन आदेश //

भोपाल, दिनांक 8/12/2019

क्रमांक 211 /499/आदेश/छा/2019 कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा के आदेश क्रमांक 54/499/आदेश/छा/2019 दिनांक 10.1.2019 के द्वारा राज्य शासन के एकीकृत छात्रवृत्ति के अन्तर्गत स्नातकोत्तर योग्यता विज्ञान/कला/ वाणिज्य संकाय पाठ्यक्रम के अध्ययन हेतु राशि रूपये 500/- (पांच सौ रूपये मात्र) प्रतिमाह की दर से 10 माह की अवधि केलिये छात्रवृत्ति भुगतान करने की आयुक्त उच्च शिक्षा म0प्र0 की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है ।

उक्त आदेश के पृष्ठ क्रमांक 4 पर अंकित निम्नलिखित मांग संख्या

मांग संख्या 44-उच्च शिक्षा

2202 सामान्य शिक्षा

(03) विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा

(107) छात्रवृत्तियाँ 9999

(6064) कला महाविद्यालय

(41) छात्रवृत्तियाँ एवं वृत्तियाँ-002

के स्थान पर मांग संख्या निम्नानुसार पढ़ा जावे :-

मांग संख्या 44-उच्च शिक्षा

2202 सामान्य शिक्षा

(03) विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा

(107) छात्रवृत्तियाँ -0103

(6064) कला महाविद्यालय

(41) छात्रवृत्तियाँ एवं वृत्तियाँ-002

शेष नियम एवं शर्तें जारी आदेशानुसार यथावत रहेंगी ।

पृष्ठांकन क्र. 212 /499/आउशि/छा/19

प्रतिलिपि:-

- 1 महालेखाकार मध्यप्रदेश ग्वालियर म.प्र.।
- 2 कुल सचिव, संबंधित विश्वविद्यालय मध्यप्रदेश ।
- 3 संबंधित क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
- 4 प्राचार्य, संबंधित शासकीय महाविद्यालय मध्यप्रदेश ।
- 5 कोषालय अधिकारी, संबंधित कोषालय मध्यप्रदेश
- 6 संचालक (बजट) उच्च शिक्षा संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
- 7 प्रभारी कम्प्यूटर प्रकोष्ठ, की ओर इस आषय से कि आदेश बैबसाईट पर उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित ।
- 8 लेखा इकाई कार्यालय, आयुक्त उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति शाखा, की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

(डॉ० सुषमा दुबे)

संचालक (वित्त)

उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश

भोपाल दिनांक 8.12.19.

संचालक (वित्त)

उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश शासन  
सतपुडा भवन भोपाल  
// संशोधन आदेश //

भोपाल, दिनांक 8 / 2 / 2019

क्रमांक 213 / 499 / आदेश / छा / 2019 कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा के आदेश क्रमांक 62 / 499 / आदेश / छा / 2019 दिनांक 10.1.2019 के द्वारा राज्य शासन के एकीकृत संस्कृत छात्रवृत्ति नियम (पुनरीक्षित) के प्रतिस्थापित अनुसूची में सरल क्रमांक-11 के अन्तर्गत वर्ष 2018-19 के लिये निम्नलिखित छात्र-छात्राओं को उनके नाम के सम्मक्ष दर्शाये अनुसार योग्यता के आधार पर राशि यपये 300/- (तीन सौ रूपये मात्र) प्रतिमाह की दर से 10 माह की अवधि के लिये संस्कृत छात्रवृत्ति भुगतान करने की आयुक्त उच्च शिक्षा म0प्र0 की सवीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है ।

उक्त आदेश के पृष्ठ क्रमांक 7 पर अंकित निम्नलिखित मांग संख्या

मांग संख्या 44-उच्च शिक्षा

2202 सामान्य शिक्षा

(03) विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा

(107) छात्रवृत्तियाँ 9999

(9013) संस्कृत छात्रवृत्ति

(41) छात्रवृत्तियाँ एवं वृत्तियाँ-002

के स्थान पर मांग संख्या निम्नानुसार पढा जावे :-

मांग संख्या 44-उच्च शिक्षा

2202 सामान्य शिक्षा


(03) विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा

(107) छात्रवृत्तियाँ -0103

(9013) संस्कृत छात्रवृत्ति

(41) छात्रवृत्तियाँ एवं वृत्तियाँ-002

शेष नियम एवं शर्तें जारी आदेशानुसार यथावत रहेंगी ।

  
(डॉ० सुषमा दुबे)  
संचालक (वित्त)


उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश

भोपाल दिनांक 8.2.19

पृष्ठांकन क्र. 214 / 499 / आउशि / छा / 19

प्रतिलिपि:-

- 1 महालेखाकार मध्यप्रदेश ग्वालियर म.प्र.।
- 2 कुल सचिव, संबंधित विश्वविद्यालय मध्यप्रदेश ।
- 3 संबंधित क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
- 4 प्राचार्य, संबंधित शासकीय महाविद्यालय मध्यप्रदेश ।
- 5 कोषालय अधिकारी, संबंधित कोषालय मध्यप्रदेश
- 6 संचालक (बजट) उच्च शिक्षा संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
- 7 प्रभारी कम्प्यूटर प्रकोष्ठ, की ओर इस आशय से कि आदेश बैबसाईट पर उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित ।
- 8 लेखा इकाई कार्यालय, आयुक्त उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति शाखा, की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

  
संचालक (वित्त)  
उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश